न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 245/2018

वादीगण:-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. शौकतअली पुत्र उस्मान 2. कुर्बान मोहम्मद पुत्र उस्मान 3. साबिर पुत्र उस्मान 4. रजियाबानों पुत्री उस्मान 5. रईसाबानों पुत्री उस्मान जातियान-तेली मुसलमान, निवासीगण-रास, तसहील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण, जिला-पाली, राज.

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.24/09/2018**

उपस्थितः- 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण सरकारी पैरोकार।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 17/06/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-रास प्रथम, पटवार हल्का-रास प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 801 रकबा 09-04 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां वादपत्र के साथ के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वादपत्र के पद संख्या 1 में कृषि भूमि में वादीगण खातेदार के रूप में काबिज खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से को निर्विवाद एवं बेरोकटोक शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं मुतालिक काश्त कार्य करते चले आ रहे है। वादपत्र में पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता उस्मान की वल्दीयत जवरू के स्थान पर घर व परिवार में बोलते नाम जफरू का इन्द्राज कर दिया गया। वादीगण के दादा को घर व परिवार में बोलते नाम जफरू से पुकारा जाता था। जबकि वादीगण के दादा का सही नाम जवरू था, उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का नाम सर्वप्रथम दर्ज किया गया उस दरम्यान वादीगण के पिता की वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू की बजाए उस्मान पुत्र जफरू दर्ज कर दिया। जो गलत है तथा दुरूस्त किया जाने योग्य है। वादीगण के पिता के सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में भी वादीगण के पिता की वल्दीयत के रूप में अपने पिता की वल्दीयत की गलत प्रविष्टि जफरू दर्ज करवाने व राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने के वादीगण विधिक रूप से अधिकारी है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्योचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेत अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 27/08/2018 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि में अपने पिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु पटवार कार्यालय में उपस्थित हुए तब हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को बताया कि आपके उक्त राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम उस्मान पुत्र जफरू दर्ज है जबकि आपने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है उसमें उस्मान पुत्र जवरू दर्ज है। इस कारण यह म्यूटेशन दर्ज नही किया जा सकता। आप पहले अपने राजस्व रेकर्ड को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दुरूस्त करावे तथा अपने पिता की वल्दीयत की अंकित रोग एन्ट्री जफरू को हटवाकर उसके सीान पर सही नाम जवरू दर्ज करावें। इसके पश्चात् ही आपके नाम म्यूटेशन दर्ज किया जा सकेगा। वादीगण को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने पिता की वल्दीयत की गतल प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादीगण ने उसी रोज अपने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर अपने राजस्व रेकर्ड में अपने पिता की वल्दीयत को दुरूस्त करवाने का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान् क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर ग्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण ने जबाबदावा पेश किया सा.मि. है। जबाबदावा में व्यक्त किया कि पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम रास प्रथम के खसरा नम्बर 801 रकबा 9-04 बीघा भूमि में उस्मान पुत्र जफरू के नाम से दर्ज है। मगर वास्तव में उस्मान के पिता का नाम जवरू है। जबाबदावा के साथ पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28/04/2019 की प्रस्तुत की। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया की विचाराधीन वाद के प्रकरण में जाहिर किया की ग्राम रास के खसरा नम्बर 801 रकबा 9-04 बीघा भूमि खातेदार उस्मान पुत्र जफरू दर्ज है। जबकि मृतक उस्मान के पिता का नाम जवरू है, इस संबंध में उस्मान के उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उस्मान पुत्र जवरू दर्ज है। जिसमे सन् 1962, 1964, 1968, 1970 की बिगौड़ी की रसीदों में जवरू पुत्र हुसैन दर्ज है। इसी प्रकार 06/01/1963 को जारी बिगौड़ी के मांग पत्र में जवरू पुत्र हुसैन का नाम दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत रास द्वारा जारी राशनकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उस्मान पुत्र जवरू पाया गया है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि मृतक उस्मान के पिता का नाम जवरू था। ना कि जफरू था। अतः सभी उपरोक्त दस्तावेजों एवं मौतबिरानों के बताये अनुसार उस्मान के पिता का नाम जवरू है। तथा उस्मान पुत्र जवरू नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ PW-1 शौकतअली पुत्र उस्मान PW-2 साबिर पुत्र उस्मान पेश किए। एवं गवाह बाबुखां पुत्र उस्मानखां जाति-लौहार तथा मीठूलाल पुत्र हजारीलाल मेघवाल के बयान कलमबद्ध किए सा.मि. किए गए। साक्ष्य शपथ पत्रों एवं बयानार्थ में जाहिर किया गया है कि उक्त विवादित आराजी में उस्मान पुत्र जवरू की मृत्यु के बाद शौकतअली वगैरहा का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण शौकतअली वगैरहा के पिता उस्मान की वल्दीयत उस्मान पुत्र जफरू दर्ज है जो गलत है उस्मान की सही वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू है। जो सही व सत्य है। बहस वकील वादी एवं सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-2076 में दर्ज उस्मान पुत्र जफरू का अवलोकन किया गया। वकीलवादी ने मौजा रास के खसरा नम्बर 801 रकबा 9-04 बीघा किस्म बारानी दोयम के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज वादीगण के पिता की वल्दीयत उस्मान पुत्र जफरू को हटाकर उस्मान पुत्र जफरू के स्थान पर सही व वास्तविक वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू दर्ज किये जाने की इस्तदुआं की है। वस्तुतः सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण के जबाबदावा एवं पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28/04/2019 के अवलोकन एवं अध्ययन से वादीगण के पिता की वल्दीयत उस्मान पुत्र जफरू राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परन्तु वादीगण के पिता की सही व वास्तविक वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू होना पाया जाता है। वादीगण एवं गवाह के साक्ष्य शपथ पत्रों तथा बयान आदि से भी वादीगण के पिता की सही एवं वास्तविक वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू होना साबित है। लिहाजा सरहद मौजा रास के खसरा नम्बर 801 रकबा 9-04 बीघा किस्म बारानी दोयम के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की वल्दीयत उस्मान पुत्र जफरू दर्ज है जो गलत हैं, जिसे हटाकर वादीगण के पिता की सही व वास्तविक वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू दुरूस्त दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–रास प्रथम, पटवार हल्का–रास प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 801 रकबा 09–04 बीघा किस्म बारानी दोयम के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की वल्दीयत उस्मान पुत्र जफरू दर्ज है जो गलत हैं, जिसे हटाकर वादीगण के पिता की सही व वास्तविक वल्दीयत उस्मान पुत्र जवरू दुरूस्त दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner